निर्णय
12.2.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

मोहनलाल बनाम शिशपाल आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 2/ वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08.01.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.01.2025 को पेश हो।	
17.1.2025	वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। मुकलाए फरिकैन उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आ० 6 नि० 17 CPC पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पता में तहसील सरदारशहर के स्थान पर तहसील चुरू दुरुस्त किया जावे जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया। ~~वादी~~ प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल फाईल किया गया जवाब स्टे प्राप्त हुआ। पत्रावली वास्ते साक्ष्य [illegible] दिनांक 20/1/2025 को पेश हो।	अहलमद [illegible] पटवारी [illegible]
20.1.2025	मुकलाए फरीकैन उपस्थित/PU [illegible] है। पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 12.2.2025 को पेश हो	
12.2.2025	मुकलाए फरिकैन उपस्थित। राजीनामा पत्र पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली [illegible] वादी व प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद निर्णीत किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नक्ल के काम की जाकर बाद तकमील तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.02.17 20:08:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 21/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
मोहनलाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन दुदवा खारा तहसील चुरु जिला चुरु।

–वादी

बनाम

1. शिशराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन दुदवा खारा तहसील चुरु जिला चुरु।
2. प्यारेलाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन दुदवा खारा तहसील चुरु जिला चुरु।
3. श्रवणी पत्नी अमरसिंह जाति जाट साकिन दुदवा खारा तहसील चुरु जिला चुरु।
4. धन्नाराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन दुदवा खारा तहसील चुरु जिला चुरु।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री कृष्णकुमार वकील–वादी
श्री बलवन्तराम छिम्पा प्रतिवादी सं. 1 ता 4
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5
निर्णय दिनांक– 12/2/2025

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि आराजी जरई रोही मौजा मालासर के खसरा न0 40 की 3.1750 है0 41 की 0.1390 है0 5 की 3.9590 है0 कुल 7.2730 है0 तहसील पल्लू के वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को ब हिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. 4 को 1/2 हिस्सा के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/2/2025 .को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.02.17 20:08:08 IST
Reason: SelfAttested